न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

दिपाराम निवासी उत्तेसर   बनाम   राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 184/2025

अन्तर्गत धारा :– तरमीम दुरूस्ती

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.8.25	प्रार्थी दिपाराम निवासी उत्तेसर तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम उत्तेसर के खसरा संख्या 111 में से 5 बिस्वा भूमि रास्ते हेतू राज्य सरकार के पक्ष में खातेदार लालाराम वगैरा के जरिये समर्पित करवाई गई जिसका खसरा संख्या 111/2 रकबा 5 बिस्वा दर्ज हुआ। तहसील ऑनलाईन के बाद तरमीम गलत दर्ज हो गई। अतः ग्राम उत्तेसर में 111/2 की तरमीम शुद्धि करने का अनुरोध किया है। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/2013 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम उक्त खसरा नंबर जरिये नामान्तकरण संख्या 511 समर्पणनामा के द्वारा दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित नक्शे की प्रतिलिपि में दर्ज चाही गई तरमीम अनुसार तरमीम दर्ज है। तरमीम नक्शा वर्तमान मौका स्थिति कब्जा–काश्त के नजरी नक्शा से भिन्न है। तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन नक्शे में दर्ज तरमीम को मौके पर कब्जाकाश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किया उचित बताया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी रिपोर्ट की अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि जांच रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द दिनांक 28.06.2025 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में मौका पर कब्जाकाश्त के अनुसार शुद्ध किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। मौका फर्द दिनांक 28.06.2025 आदेश का अभिन्न अंग समझा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	